

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प)

प्रकरण संख्या 534/23

दिनांक 01/06/2023

उनवान
श्री गोपाल लाल पुत्र देवा बलाई बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

--: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का खजूरी भू.अ.नि. खजूरी एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम खजूरी प. ह. खजूरी की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 185, 453, 595, मे वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जानी है।
1	प्रार्थी का नाम	गोपाल पुत्र देवा बलाई	गोपाल लाल पुत्र देवा बलाई

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी गोपाल लाल पुत्र देवा बलाई
- रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा